हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
चावण्डसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 176 / 2018	

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चावंडसिंह राठौड़ पुत्र स्व. रामसिंह राठौड़, पता रामपुरा(दम्बोई खूर्द) वाया गच्छीपुरा, तहसील मकराना जिला नागौर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.09.18 में उसके द्वारा (1) मिसल नं. 32 सन् 47–48 कायम हुई उसको कार्यवाही जरिये गजट 63 दिनांक 21.06. 1952, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 1741 दिनांक 29.10.18 के जरिये सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम) द्वारा अपने पत्रांक 1741 दिनांक 29.10.18 के जरिये प्रार्थी को अवगत कराया कि भू–अभिलेख शाखा, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भू–अभिलेख अनुभाग की रिकॉर्ड शाखा के सूचीबद्ध रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

अपीलार्थी / प्रार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि द्वितीय विश्व युद्ध में उसके पिता सिपाई रामसिंह लड़ाई में धायल होने पर सरकार की तरफ से भूमि आंवटन की जा रही थी, उसके पिताजी को भी भूमि के आंवटन के लिए कहने पर सन 1947–48 में मौजा पालड़ी में मिसल नं. 32 के तहत भूमि आवंटन होनी थी, परन्तु मेरे पिताजी का स्वर्गवास वर्ष 1949 में हो गया तथा उस समय प्रार्थी की आयु 2–3 वर्ष ही थी । बहस में यह भी बतलाया कि वर्ष 1952 में तत्कालीन सेटलमेंट अधिकारी जालोर से उसके पिताजी के नाम पत्र आया था जिसकी प्रति पत्रावली सलंग्न की है उक्त पत्र में वर्णित **मिसल संख्या 32 सन् 47–48** की प्रमाणित प्रति चाही गई है जो नहीं दी जा रही है। लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड शाखा के सूचीबद्ध रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, कहा है परन्तु रिकॉर्ड में असूचीबद्ध रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं, इसका कोई स्पष्टीकरण पत्र में नहीं दिया गया है, अतः न्यायहित में रिकॉर्ड शाखा में उपलब्ध रिकॉर्ड जो सूचीबद्ध या असूचीबद्ध हो, प्रार्थीपक्ष को अवलोकन कराया जाने का आदेश दिया जाता है। रिकॉर्ड का निरीक्षण प्रार्थी दिनांक 06.02.2019 को उपस्थित होकर करना चाहता है अतः प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख शाखा, कार्यालय हाजा

लगातार...

	को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के उपस्थित होने पर उसे एक बार रिकॉर्ड का निरीक्षण करा दें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	